न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः– 09 / 2017 (75 एल.आर.एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2017 / 00335

उनवान

1. हंसराज पुत्र बनारसीदास
2. अशोक कुमार पुत्र हंसराज
3. सत्यपाल पुत्र ज्ञानचन्द
4. घनश्यामदास पुत्र लखमीचन्द
5. केवलकृष्ण पुत्र हंसराज
6. वेदप्रकाश पुत्र चन्दगीराम
7. पवन कुमार पुत्र हंसराज
8. राजेन्द्रकुमार पुत्र लख्मीचन्द

जाति वैश्य नि0 सहवन तहसील पहाडी द्वारा मुखत्यार आम लालचन्द पुत्र नानकचन्द जाति बाजोगर निवासी धीमरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

9. हरमेश पुत्र हंसराज
10. हंसराज पुत्र ठाकुरमल
11. लालचन्द पुत्र नानकचन्द
12. नजीरो देवी पत्नी लालचंद

जाति वैश्य नि0 सहवन तहसील पहाडी द्वारा मुखत्यार आम पूर्णचन्द पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी धीमरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

13. पूरनचन्द पुत्र लालचन्द
14. चिम्मनलाल(मृतक)
    - 14 / 1. जोगराज
    - 14 / 2. अशोक
    - 14 / 3. देवी सिंह

    पिसरान चिम्मनलाल
15. कस्तूरीलाल
16. रोशनलाल
17. जगीर सिंह
18. वीर सिंह
19. लेखराज

    पिसरान लालचन्द

जाति बाजीगर निवासी धीमरी तह0 पहाडी

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. ग्राम पंचायत धीमरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा सरपंच।

.....रेस्पोडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधि0 विरूद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 18.08.2015 जिला कलक्टर, भरतपुर प्रकरण संख्या राजस्व/12/2/77/2015/142।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक–01.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत, न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपर के आदेश दिनांक 08.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, पहाडी द्वारा एक प्रस्ताव नवसृजित ग्राम पंचायत धीमरी तहसील पहाडी के कार्यालय हेतु (पंचायतीराज विभाग) को आराजी खसरा नम्बर 1831 रकवा 9.83 है0 किस्म गै0 मु0 खार में से 0.81 है0 भूमि का आवंटन किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर ने उक्त प्रस्ताव बाद जॉच, भू राजस्व (स्कूलो, कालेजो, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिकृत सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम 1963 के तहत नवसृजित ग्राम पंचायत धीमरी तहसील पहाडी के कार्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में तर्क है कि विवादित आराजी, पर अपीलाण्ट का कई वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से पीडित है। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील प्रस्तुत की जा रही है। धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

4. अपीलाण्ट के अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्य के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कई वर्षा से कब्जा काश्त है। विवादित आराजी का अपीलाण्ट को दिनांक 18.08.1983 को विधिवत आवंटन किया गया था। अतः वक्त आवंटन के रोज से अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजी का आवंटन करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने कोई उज्रदारी नोटिस जारी नहीं किया एवं ना ही अन्य किसी ग्रामवासियों को ही कोई सूचना दी गयी एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का

आवंटन करने से पूर्व विवादित आराजी की मौका रिर्पोट पटवारी हल्का से प्राप्त की और मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गैर मुमकिन खार दर्ज है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के प्रस्तावों की भली भॉत जॉच कर भू राजस्व अधिनियम 1963 के तहत ग्राम पंचायत धीमरी तहसील पहाडी के कार्यालय हेतु आवंटित की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। कार्यालय ग्राम पंचायत धीमरी पंचायत समिति पहाडी ने अपने पत्र क्रंमाक एसपीएल/2015/01 दिनांक 13.07.2015 से तहसीलदार पहाडी को सूचित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा मीटिंग दिनांक 05.06.2015 को अपने प्रस्ताव संख्या 03 से अपीलाधीन आवंटन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया है। पर्चा मौका जो मजमे आम में दिनांक 13.07.2015 को बनाया गया है में अपीलाधीन भूमि मौके पर खाली व निर्विवाद बताई गयी है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व योग्य जिला कलक्टर द्वारा आवंटन प्रस्ताव की सम्यक जॉच की गयी है। अतः अपीलाधीन आदेश को सरसरी तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलाण्ट का यह तर्क कि आवंटित भूमि पर उनका कई वर्ष से कब्जा है; ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र व मजमे आम पर्चा मौका के प्रकाश में थोथे मालूम होते हैं। तर्क के लिए यदि अपीलाण्ट का कब्जा मान भी लिया जावें तो भी अपीलाण्ट इस कथित कब्जे का कोई वैधानिक आधार नहीं बता पाया है। आवंटित भूमि जमाबन्दी संवत 2060–63 के खाता संख्या 01 में मकबूजा सरकार एवं भूमि वर्गीकरण में किस्म गैर मुमकिन खार दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमण मात्र से किसी भी प्रकार के अधिकारो का सृजन नहीं होता है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन भूमि पर अपने अधिकारो की घोषणा हेतु अपने कथित ''कई वर्षो'' के कब्जे के दौरान कोई प्रयास मात्र भी किया हो, इस बाबत् कोई कथन भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में भी विवादित भूमि पडत दर्ज है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि से अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार का सम्बन्ध हम नहीं पाते हैं। अपील पूर्णतः सारहीन एवं बोगस है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते ह।

7. जहॉ तक माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका आदेश दिनांक 20.09.2018 में दिये निर्देशो का प्रश्न है। प्रकरण में अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा ही नियत पेशी दिनांक को बहस हेतु समय की मॉग किये जाने पर, न्यायालय द्वारा समय दिया गया है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 18.08.2015 यथावत रख जात हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर

से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 01.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर